



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275071
CG-DL-E-01082026-275071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4041]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948

No. 4041]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

का.आ. 4211(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 160-अ के कि.मी. 156/000 से कि.मी. 217/210 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) सुर्या प्रकल्प, डहाणू को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच

करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 160-अ के कि.मी. 156/000 से कि.मी. 217/210 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पालघर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पालघर					
गांव का नाम: शेळवाली					
1	14	निजी	अकृषिक	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
2	15	निजी	कृषिक	0.0344 (हेक्टेयर)	0.0344
3	17	निजी	कृषिक	0.0142 (हेक्टेयर)	0.0142
4	18/1/1	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
5	18/2	निजी	कृषिक	0.0166 (हेक्टेयर)	0.0166
6	23	निजी	अकृषिक	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
7	27/1	निजी	कृषिक	0.0711 (हेक्टेयर)	0.0711
8	31	निजी	कृषिक	0.0238 (हेक्टेयर)	0.0238
9	33	निजी	कृषिक	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
10	43/2	निजी	कृषिक	0.0726 (हेक्टेयर)	0.0726
11	44/1/A	निजी	कृषिक	0.2823 (हेक्टेयर)	0.2823
12	44/1/B	निजी	कृषिक	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
13	44/1/C	निजी	कृषिक	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
14	44/2	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
15	51	निजी	कृषिक	0.0483 (हेक्टेयर)	0.0483
16	55	सरकारी	सरकार	0.1051 (हेक्टेयर)	0.1051
17	58/1	निजी	कृषिक	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
18	58/2	निजी	अकृषिक	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029

19	59/A/2	निजी	कृषिक	0.0375 (हेक्टेयर)	0.0375
20	59/B	निजी	कृषिक	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
21	60/A/C	निजी	कृषिक	0.0144 (हेक्टेयर)	0.0144
22	61	सरकारी	सरकार	1.7451 (हेक्टेयर)	1.7451
गांव का नाम: चहाडे					
23	228	निजी	सरकार/कृषिक	0.1226 (हेक्टेयर)	0.1226
24	232	निजी	कृषिक	0.085 (हेक्टेयर)	0.085
25	233	सरकारी	सरकार/कृषिक	2.9046 (हेक्टेयर)	2.9046
26	235	निजी	कृषिक	0.0915 (हेक्टेयर)	0.0915
27	245	सरकारी	सरकार	0.0375 (हेक्टेयर)	0.0375
28	246	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
29	247	निजी	कृषिक	0.0095 (हेक्टेयर)	0.0095
30	256	निजी	कृषिक	0.0065 (हेक्टेयर)	0.0065
31	258	निजी	कृषिक	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
32	266	निजी	कृषिक	0.0355 (हेक्टेयर)	0.0355
33	267	निजी	सरकार/कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
34	273	सरकारी	सरकार	0.0651 (हेक्टेयर)	0.0651
35	276/A	निजी	कृषिक	0.0384 (हेक्टेयर)	0.0384
36	280	निजी	कृषिक	0.0283 (हेक्टेयर)	0.0283
37	281	निजी	कृषिक	0.033 (हेक्टेयर)	0.033
38	282A 282B	निजी	कृषिक	0.0762 (हेक्टेयर)	0.0762
39	290	निजी	कृषिक	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
40	292	निजी	कृषिक	0.0215 (हेक्टेयर)	0.0215
41	294	निजी	सरकार/कृषिक	0.1245 (हेक्टेयर)	0.1245
42	295	निजी	कृषिक	0.239 (हेक्टेयर)	0.239
43	296	निजी	कृषिक	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
44	299	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
45	301	निजी	कृषिक	0.0335 (हेक्टेयर)	0.0335
Total					6.7817

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2026

S.O. 4211(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of **NH-160A in the stretch of land from Km. 156/000 to Km. 217/210** in the district of PALGHAR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Dy. Collector LA Surya Project Dahanu in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Under NH-160A in the stretch of land from Km. 156/000 to Km. 217/210 in the district of PALGHAR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: PALGHAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Palghar					
Village: SHELAVALI					
1	14	Private	Non Agriculture	0.0004 (Hectare)	0.0004
2	15	Private	Agriculture	0.0344 (Hectare)	0.0344
3	17	Private	Agriculture	0.0142 (Hectare)	0.0142
4	18/1/1	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
5	18/2	Private	Agriculture	0.0166 (Hectare)	0.0166
6	23	Private	Non Agriculture	0.0101 (Hectare)	0.0101
7	27/1	Private	Agriculture	0.0711 (Hectare)	0.0711
8	31	Private	Agriculture	0.0238 (Hectare)	0.0238
9	33	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
10	43/2	Private	Agriculture	0.0726 (Hectare)	0.0726
11	44/1/A	Private	Agriculture	0.2823 (Hectare)	0.2823
12	44/1/B	Private	Agriculture	0.065 (Hectare)	0.065
13	44/1/C	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
14	44/2	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
15	51	Private	Agriculture	0.0483 (Hectare)	0.0483
16	55	Government	Government	0.1051 (Hectare)	0.1051
17	58/1	Private	Agriculture	0.0075 (Hectare)	0.0075

18	58/2	Private	Non Agriculture	0.0029 (Hectare)	0.0029
19	59/A/2	Private	Agriculture	0.0375 (Hectare)	0.0375
20	59/B	Private	Agriculture	0.035 (Hectare)	0.035
21	60/A/C	Private	Agriculture	0.0144 (Hectare)	0.0144
22	61	Government	Government	1.7451 (Hectare)	1.7451
Village: Chahade					
23	228	Private	Govt/Agriculture	0.1226 (Hectare)	0.1226
24	232	Private	Agriculture	0.085 (Hectare)	0.085
25	233	Government	Govt/Agriculture	2.9046 (Hectare)	2.9046
26	235	Private	Agriculture	0.0915 (Hectare)	0.0915
27	245	Government	Government	0.0375 (Hectare)	0.0375
28	246	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
29	247	Private	Agriculture	0.0095 (Hectare)	0.0095
30	256	Private	Agriculture	0.0065 (Hectare)	0.0065
31	258	Private	Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
32	266	Private	Agriculture	0.0355 (Hectare)	0.0355
33	267	Private	Govt/Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
34	273	Government	Government	0.0651 (Hectare)	0.0651
35	276/A	Private	Agriculture	0.0384 (Hectare)	0.0384
36	280	Private	Agriculture	0.0283 (Hectare)	0.0283
37	281	Private	Agriculture	0.033 (Hectare)	0.033
38	282A 282B	Private	Agriculture	0.0762 (Hectare)	0.0762
39	290	Private	Agriculture	0.0031 (Hectare)	0.0031
40	292	Private	Agriculture	0.0215 (Hectare)	0.0215
41	294	Private	Govt/Agriculture	0.1245 (Hectare)	0.1245
42	295	Private	Agriculture	0.239 (Hectare)	0.239
43	296	Private	Agriculture	0.0011 (Hectare)	0.0011
44	299	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
45	301	Private	Agriculture	0.0335 (Hectare)	0.0335
Total					6.7817

[F. No. NH-inprinciple-MHR-2016-17-1011 NH-inprinciple-MHR-2016-17-1011/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director